न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या 198 / 2020 तारीख दायरा 13.10.2020

उनवान

भागीरथ उर्फ बबलू उम्र 35 वर्ष पुत्र शंकरलाल जाति नायक निवासी ग्राम लसेडिया कलां तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। — वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय सांगोद जिला कोटा।
2. रामकुवार पुत्र शंकरलाल जाति नायक ।
3. धर्मराज पुत्र शंकरलाल जाति नायक निवासी ग्राम लसेडिया कलां तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। — प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर टी एक्ट

उपस्थित :—

दिनांक :— 31.03.2021

श्री धर्मराज नायक (वकील वादीगण)

श्री सरकार पैरोकार

—:: निर्णय ::—

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.12 14:47:20 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार [illegible] वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का पेश किया है कि वादी के [illegible] आराजी माल ग्राम डाबरीकलां पटवार हलका दिल्लीपुरा तहसील सांगोद [illegible] खाता सं0 नई 283 [illegible] किता की 0.40 हैक्टर व खाता संख्या नई 282 कुल 2 किता की 1.10 हैक्टर व माल [illegible]सेडियाकलां पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद में खाता सं. नई 23 कुल 4 किता की 2.15 हैक्टर व माल ग्राम प्रतापपुरा पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 29 के खसरा नं0 93 की 0.28 हैक्टर व खाता सं0 नई 30 खसरा नं0 94 की 0.73 हैक्टर व खाता संख्या नई 31 कुल किता 2 की 1.89 हैक्टर आराजीयात स्थित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
डाबरीकलां	283	1421	0.40
डाबरीकलां	282	1429	0.70
		957	0.40
		कुल 2 किता की कुल 1.10 हैक्टर	
लसाडियाकलां	23	359	0.04
		483	0.97
		489	0.02
		490	1.12
		कुल 4 किता की कुल 2.15 हैक्टर आराजी	
प्रतापपुरा	29	93	0.28 हैक्टर
प्रतापपुरा	30	94	0.73 हैक्टर
प्रतापपुरा	31	91	1.00
		92	0.89
		कुल 2 किता की कुल 1.89 हैक्टर आराजी	

वाद पत्र में वर्णित आराजी पूर्व में वादी के पिता के खाते दर्ज रही है, वादी के पिता का स्वर्गवास हो गया है, जिनका फौती इन्तकाल नं0 182 व इन्तकाल नं0 120 व इन्तकाल नं0 645 खोला गया, जिसमें वादी का नाम संलग्न दस्तावेज के अनुसार बबलू पुत्र शंकरलाल के स्थान पर घर का बोलता नाम भागीरथ अंकित कर दिया, इन्तकाल में भागीरथ पुत्र शंकरलाल अंकित कर दिया है। वादी ने कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए नकल जमाबन्दी प्राप्त की तो वादी की जानकारी में आया कि राजस्व रिकार्ड में वादी का प्रचलित व दस्तावेज में वर्णित नाम बबलू के बजाए राजस्व रिकार्ड में घर का बोलता नाम भागीरथ अंकित कर दिया है, जिसके बाद वादी ने बैंक इत्यादि में जाकर कृषि ऋण लेने का प्रयास किया तो बैंक अधिकारी महोदय द्वारा उक्त गलत नाम अंकित होने से प्रार्थी को ऋण देने से मना कर दिया है, इस पर वादी द्वारा पटवारी हलका महोदय से उक्त गलत नाम को दुरुस्त करने के लिए निवेदन किया, लेकिन पटवारी हलका महोदय द्वारा सक्षम न्यायालय से आदेश लाने की कहने से वादी के लिए माननीय न्यायालय में उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.12 14:47:20 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार कर निम्न आशय की घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे कि :–

माल ग्राम डाबरीकलां पटवार हलका दिल्लीपुरा तहसील सांगोद में खात सं0 नई 283 के खसरा नं0 1421 की 0.40 हैक्टर व खाता संख्या नई 282 के खसरा नं0 1429, 957 कुल 2 किता की 1.10 हैक्टर व माल ग्राम लसेडियाकलां पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 23 के खसरा नं0 259, 483, 489, 490 कुल 4 किता की 2.15 हैक्टर व माल ग्राम प्रतापपपुरा पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 29 के खसरा नं0 93 की 0.28 हैक्टर व खाता सं0 नई 30 खसरा नं0 94 की 0.73 हैक्टर व खाता सं0 नई 31 के खसरा नं0 91, 92 कुल 2 किता की 1.89 हैक्टर आराजियात के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का घर का नाम भागीरथ के स्थान पर दुरस्त किया जाकर पहचान के दस्तावेज अनुसार बबलू पुत्र शंकरलाल दर्ज किये जाने की घोषणा की डिक्री सादिर पारित फरमावें तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दमराद किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया, जवाद देही का अवसर दिया गया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 2 व 3 की ओर से वकील श्री उदल सिंह मीणा ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा वाद वादी को स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की। वकील वादी द्वारा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश किया गया। तद्उपरान्त वकील वादी द्वारा बहस की गई तथा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, बहस अधिवक्ता, नकल जमाबंदी, शपथ पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, शिक्षा संबंधी दस्तावेज, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र इत्यादि का अवलोकन व मनन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

माल ग्राम डाबरीकलां पटवार हलका दिल्लीपुरा तहसील सांगोद में खात सं0 नई 283 के खसरा नं0 1421 की 0.40 हैक्टर व खाता संख्या नई 282 के खसरा नं0 1429, 957 कुल 2 किता की 1.10 हैक्टर व माल ग्राम लसेडियाकलां पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 23 के खसरा नं0 259, 483, 489, 490 कुल 4 किता की 2.15 हैक्टर व माल ग्राम प्रतापपपुरा पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 29 के खसरा नं0 93 की 0.28 हैक्टर व खाता सं0 नई 30 खसरा नं0 94 की 0.73 हैक्टर व खाता सं0 नई 31 के खसरा नं0 91, 92 कुल 2 किता की 1.89 हैक्टर आराजियात के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का घर का नाम भागीरथ के स्थान पर दुरस्त किया जाकर पहचान के दस्तावेज अनुसार बबलू पुत्र शंकरलाल दर्ज किया जावें। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.12 14:47:20 IST
Reason: SelfAttested

कारण रहनभार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिकी पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.12 14:47:20 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
साँगोद जिला कोटा